

23.07.2024 पत्रावली पेश हुई।

वादी एवं अधिवक्ता वादी अनुपस्थित।

रुब-रुब कर तीन बार आपाज

लगवाई गई, बावजूद इसके कोई

अपस्थित नहीं। इससे प्रतीत होता

है कि वादी एवं अधिवक्ता वादी

अपने दावे को लेकर गम्भीर

नहीं हैं अतः दावा अदम्य हाजिरी

अदम्य पैरवी दनी स्तर पर

खारिज किया जाता है।

पत्रावली डेसल शुभार

लेकर नम्बर से कम की जाकर

दाखिल दफतर हो। (पुन)

सहायक कलेक्टर एवं कायपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

